भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर)
और
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई)
के बीच
समझौता ज्ञापन

1. यह मानते हुए कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त सामाजिक और आर्थिक अपराध है जो भारत में सुशासन और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है और हमारे समाज के नैतिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है।

2. यह मानते हुए कि भारत में सभी कंपनियों और प्रमुख संगठनों की सभी रूपों में और सभी प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से निपटने की समान जिम्मेदारी है।

3. यह स्वीकार करते हुए कि इस क्षेत्र में प्रगति हासिल करने के लिए न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है बल्कि वैयक्तिक कंपनी या सरकारी विभाग के स्तर पर भी प्रयासों की जरूरत है।

4. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) और अन्य गैर-सरकारी संगठनों तथा भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) जैसे व्यावसायिक संगठनों के प्रयासों का स्वागत करते है।

5. कॉनकॉर सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख संगठन है जो विश्वसनीय, अनुक्रियाशील, सुरक्षित और मूल्य संवर्धित संभारतंत्र सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों में कार्यरत है। कॉनकॉर उच्चतम मानदण्डों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय करता है। यह बड़ी संख्या में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बोली लगाने वालों, ठेकेदारों और सामान एवं सेवाओं के विक्रेताओं के साथ व्यवसाय करता है। कॉनकॉर सर्वाधिक नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवसायिक माहौल को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। कॉनकॉर सभी प्रतिपक्षों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य करता है।

6. 'इंटेग्रिटी पैक्ट' ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि एक कंपनी अथवा सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो।

7. कॉनकॉर और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से 'संलग्न इंटेग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम' विकसित किया है और कॉनकॉर इस कार्यक्रम को अपने संगठन में लागू कर रहा है। कॉनकॉर में और अन्य संगठनों में 'इंटेग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम' लागू करने के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस कार्यक्रम को और अधिक परिष्कृत किया गया है ताकि यह अधिक प्रभावी हो सके।

8. कॉनकॉर 'इंटेग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम' को कार्य और व्यवहार दोनों रूप में लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है।

9. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया इंटेग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक लागू करने और इसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कॉनकॉर को इस संबंध में समर्थन और सलाह देने और अपनी सीमा के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिज्ञा करता है।

10. यदि 'इंटेग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम' को लागू करते हुए कॉनकॉर और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उन्हें उसको आपसी बातचीत और विचार-विमर्श से दूर करना चाहिए। यदि मतभेद सुलझ नहीं पाए तो कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित रूप से 30 दिन का नोटिस देकर इस समझौते को खत्म कर सकता है और इसके प्रभावी होने के बाद इस तरह के किसी खात्मे को सार्वजनिक कर सकता है। यह समझौता ज्ञापन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उपर्युक्त प्रावधान के तहत इसे खत्म न कर दिया जाए।

11. 'इंटेग्रिटी पैक्ट' क्रियान्वयन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

12. इस समझौता ज्ञापन पर दिनांक 20 दिसंबर 2007 को कॉनकॉर कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

प्रबंध निदेशक
'कॉनकॉर भवन'
सी-3, मथुरा रोड,
नई दिल्ली- 110076
दूरभाष : 011-41673093-96
फैक्स : 011-41673112
ई-मेल : co@concorindia.com

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया

अध्यक्ष
बलवंतराय मेहता विद्या भवन
मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II,
नई दिल्ली- 110048
दूरभाष : 29224519
फैक्स : 29228081
ई-मेल : tiindia@yahoo.co.in

7 A

इंटेग्रिटी पैक्ट

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) जिसे इसमें इसके पश्चात **'मुख्य पक्षकार'**

के रूप में उल्लिखित किया गया है

और

...........................जिसे इसमें इसके पश्चात् **'बोली लगाने वाला/ठेकेदार'**

के रूप में उल्लिखित किया गया है।

उद्देशिका

मुख्य पक्षकार, नीचे दी गई सांगठनिक प्रक्रिया के तहत ....के लिए संविदा देना चाहता है। मुख्य पक्षकार सभी प्रासंगिक देशाचार, नियमों, विनियमों के पूर्ण अनुपालन संसाधनों के किफायती इस्तेमाल और बोली लगाने वालों और/या ठेकेदारों के साथ संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य पक्षकार एक स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता अर्थात 'इंडिपेंडेंट एक्सपर्टनल मॉनिटर' (आईईएम) नियुक्त करेगा जोकि निविदा प्रक्रिया और उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुपालन हेतु संविदा के निष्पादन की निगरानी करेगा।

खंड 1 - मुख्य पक्षकार की वचनबद्धता

(1) मुख्य पक्षकार, भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सभी कदम उठाने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए वचनबद्ध है।

अ. मुख्य पक्षकार का कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से निविदा के लिए या संविदा के निष्पादन हेतु अपने या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भौतिक अथवा अभौतिक लाभ नहीं लेगा जिसका कि वह कानूनी तौर पर हकदार न हो।

ब. मुख्य पक्षकार, निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोली लगाने वालों के साथ निष्पक्षता से और तार्किकता के साथ व्यवहार करेगा। मुख्य पक्षकार, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान सभी बोली लगाने वालों को समान जानकारी उपलब्ध कराएगा और

किसी बोली लगाने वाले को ऐसी कोई गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा जिसके माध्यम से बोली लगाने वाले को निविदा प्रक्रिया के संबंध में या संविदा निष्पादन में कोई लाभ हो।

स. मुख्य पक्षकार, सभी ऐसे व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर रखेगा जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों।

(2) यदि मुख्य पक्षकार को उसके किसी कर्मचारी के आचरण के बारे ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जोकि आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत आपराधिक कृत्य हो या इस संबंध में संदेह का पर्याप्त आधार हो तो मुख्य पक्षकार मुख्य सतर्कता अधिकारी को इस बारे में सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त वह अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ कर सकता है।

खंड 2 - बोली लगाने वालों/ठेकेदारों की वचनबद्धता

(1) बोली लगाने वाले/ठेकेदार भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय और संविदा के निष्पादन के दौरान वह निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए वचनबद्ध होंगे।

अ. बोली लगाने वाले/ठेकेदार सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से संविदा के निष्पादन और निविदा प्रक्रिया में शामिल मुख्य पक्षकार के कर्मचारियों में से किसी को या किसी तीसरे व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन के दौरान किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने केलिए किसी मैटिरियल या अन्य लाभ की पेशकश या वादा या भेंट नहीं करेगा, न ही देगा जिसका कि वह व्यक्ति कानूनी तौर पर हकदार न हो।

ब. बोली लगाने वाले/ठेकेदार अन्य बोली लगाने वालों के साथ किसी प्रकार का औपचारिक या अनौपचारिक गुप्त करार या समझौता नहीं करेंगे। यह मूल्य, विशेष विवरण, प्रमाणन, पूरक करारों, निविदा को जमा करना या नहीं करना या कोई अन्य

कृत्य जो प्रतिस्पर्धा को रोकने या बोली लगाने वालों का कार्टल बोली के वक्त एक समान निर्णय पर चलने वाला समूह बनाने के लिए हो।

स. बोली लगाने वाले/ठेकेदार आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे, इसके अलावा बोली लगाने वाले/ठेकेदार मुख्य पक्षकार द्वारा व्यवसायिक संबंध के तहत उपलब्ध कराई गई कोई जानकारी या दस्तावेज जोकि योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यवसाय संबंधी विवरण जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई जानकारी भी शामिल है, का प्रतियोगिता या व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को इस बारे में जानकारी देंगे।

द. विदेशी मूल के बोली लगाने वालों/ठेकेदारों को भारत में उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हों तो उनके नाम और पते बताने होंगे। इसी प्रकार से भारतीय मूल के बोली लगाने वालों/ठेकेदारों को अपने विदेशी मुख्य पक्षकार, यदि कोई हो तों उनका नाम और पता बताना होगा। इसके अलावा बोली लगाने वालों/ठेकेदारों को 'गाइडलाइन्स ऑन इंडियन एजेन्ट्स ऑफ फॉरेन सप्लायर्स' के तहत अन्य विवरण देना होगा। आगे, जैसाकि दिशानिर्देशों में उल्लिखित है भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में किया जाएगा। 'विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों संबंधी दिशानिर्देशों' की प्रति संलग्न 10 के रूप में संलग्नक और चिन्हित है।

ई. बोली लगाने वालों/ठेकेदारों को बोली लगाते वक्त यह बताना होगा कि इस संविदा को हासिल करने के सिलसिले मे उसने एजेंटों, ब्रोकरों या किसी अन्य मध्यस्थ को वह कितना भुगतान कर चुका है या भुगतान करने हेतु वचनबद्ध है अथवा भुगतान करने का इरादा रखता है।

(2) बोली लगाने वाले/ठेकेदार किसी तीसरे व्यक्ति को उपर्युक्त किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही इसमें किसी तरह से सहायक होगा।

II. खंड 3- निविदा प्रक्रिया के अयोग्य ठहराया जाना और भविष्य में संविदाओं से बेदखली

यदि बोली लगाने वाले/ठेकेदार ठेका मिलने से पहले या निष्पादन के दौरान उपर्युक्त या किसी अन्य रूप में खंड 2 का उल्लंघन करते हुए नियम भंग करते है जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता हो तो मुख्य पक्षकार को ऐसे बोली लगाने वाले/ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया से बेदखल करने या व्यवसायिक डील्स पर दिशानिर्देशों 'गाइडलाइन्स ऑन बैनिंग बिजनेस डीलिंग्स' में उल्लिखित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने का हक होगा। 'गाइडलाइन्स ऑन बैनिंग बिजनेस डील्स' की प्रति संलग्नक 'ब' के रूप में संलग्न और चिन्हित है।

III. खंड 4- नुकसान के लिए हर्जाना

(1) यदि मुख्य पक्षकार ने ठेका मिलने से पहले बोली लगाने वालों को खंड 3 के तहत अयोग्य ठहरा दिया है तो मुख्य पक्षकार को जमा पेशगी रकम/बोली प्रतिभूति की राशि के बराबर हर्जाना मांगने और वसूल करने का हक होगा।

(2) यदि मुख्य पक्षकार ने खंड 3 के अनुसार संविदा को खत्म कर दिया है या मुख्य पक्षकार ने खंड 3 के तहत संविदा को खत्म करने का हकदार है तो वह ठेकेदार से संविदा मूल्य की निर्धारित हर्जाना या बैंक गारंटी निष्पादन के बराबर राशि मांगने और वसूल करने का हकदार होगा।

IV. खंड 5- पूर्व उल्लंघन

(1) यदि बोली लगाने वाला यह घोषणा करता है कि भ्रष्टाचार निरोधक नीति के अनुरूप उसके द्वारा पिछले तीन सालों के दौरान किसी भी अन्य देश को किसी अन्य कंपनी या भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ किसी प्रकार का कोई पूर्व उल्लंघन नहीं किया गया है जिसकी वजह से उसे निविदा प्रक्रिया से बेदखल किया जा सकता है।

(2) यदि बोली लगाने वाला इस विषय में गलत वक्तव्य देता है तो उसे निविदा प्रक्रिया के अयोग्य ठहराया जा सकता है या व्यवसायिक डीलिंग पर रोक लगाने संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

खंड 6- बोली लगाने वालों/ठेकेदारों/उप ठेकेदारों के प्रति समान व्यवहार

(1) बोली लगाने वाले/ठेकेदार सभी उप ठेकेदारों से इस इंटेग्रिटी पैक्ट के साथ समरूपता रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की मांग करने और संविदा पर हस्ताक्षर से पूर्व उसे मुख्य पक्षकार को सौंपने हेतु वचनबद्ध हैं।

(2) मुख्य पक्षकार, इस करार की भांति सभी बोली लगाने वालों, ठेकेदारों और उप ठेकेदारों के साथ एक जैसी शर्तों पर ही करार करेगा।

(3) मुख्य पक्षकार, उन सभी बोली लगाने वालों को निविदा प्रक्रिया के अयोग्य ठहरा देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे।

खंड 7- उल्लंघन करने वाले, बोली लगाने वालों/ठेकेदारों/उप ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि मुख्य पक्षकार को किसी बोली लगाने वाले ठेकेदार या उप ठेकेदार या कर्मचारी या किसी बोली लगाने वाले ठेकेदार या उप ठेकेदार के प्रतिनिधि या किसी सहयोगी के किसी आचरण के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या फिर मुख्य पक्षकार के पास इस बारे में संदेह का पर्याप्त आधार हो, तो ऐसी स्थिति में मुख्य पक्षकार, मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी जानकारी देगा।

खंड 8- स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता/निगरानीकर्ता

(1) मुख्य पक्षकार, इस समझौते के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता नियुक्त करता है। निगरानीकर्ता का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इसकी समीक्षा करना है कि विभिन्न पक्षकार इस करार के तहत शर्तों और दायित्वों का पालन कर रहे हैं या नहीं और यदि कर रहे है तो कहां तक।

(2) निगरानीकर्ता को करार से जुड़े विभिन्न पक्षकारों के प्रतिनिधि कोई निर्देश नहीं दे सकेंगे और वह अपने दायित्वों का स्वतंत्र और तटस्थ रूप से निर्वाह करेगा। वह प्रबंध निदेशक, कॉनकॉर को रिपोर्ट देगा।

(3) बोली लगाने वाले/ठेकेदार यह स्वीकार करते हैं कि निगरानीकर्ता को बिना किसी रोक के ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों सहित मुख्य पक्षकार के सभी परियोजना दस्तावेजों को देखने का हक होगा। ठेकेदार भी निगरानीकर्ता के अनुरोध पर और उसके द्वारा रूचि दर्शाने पर बिना शर्त और बिना रोक टोक अपने परियोजना दस्तावेज देखने देगा। यह उप ठेकेदारों पर भी लागू होता है। निगरानीकर्ता करार के तहत बोली लगाने वालों/ठेकेदारों/उप ठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखने के लिए बाध्य होगा।

(4) मुख्य पक्षकार, मॉनीटर को परियोजना से संबंधित सभी पार्टियों के बीच सभी बैठकों की पर्याप्त सूचना देगा बशर्ते कि इन बैठकों का मुख्य पक्षकार और संविदाकार के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ता हो। ये पार्टियां मॉनीटर को इस प्रकार की बैठकों में भाग लेने का विकल्प दे सकती है।

(5) ज्योंही मॉनीटर यह नोटिस करे या महसूस करे कि करार का उल्लंघन हो रहा है तो वह मुख्य पक्षकार के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन से करार समाप्त करने या सुधारात्मक उपाय करने या अन्य संबंधित कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। मॉनीटर इस संबंध में अबाध्यकारी संस्तुतियां दे सकता है। इसके आगे, मॉनीटर को यह अधिकार नहीं है कि वह पार्टियों से यह मांग करे कि वे निर्धारित तरीके से काम करें, काम करने से मना करे या कार्रवाई सहन करे।

(6) मॉनीटर, प्रबंध निदेशक, कॉनकॉर को संदर्भित तिथि या उसके द्वारा मुख्य पक्षकार को दी गई सूचना के 8 से 10 सप्ताह के अंदर लिखित रिपोर्ट करेगा और यदि ऐसा अवसर आए तो समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(7) मॉनीटर, क्षतिपूर्ति राशि पाने का उन्हीं शर्तों के अनुरूप हकदार होगा जैसाकि कॉनकॉर बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों को दिया गया है/उपलब्ध है।

(8) यदि मॉनीटर ने प्रबंध निदेशक, कॉनकॉर को रिपोर्ट किया है कि संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत अपराध का पर्याप्त शक है और प्रबंध निदेशक, कॉनकॉर उचित समय में ऐसे अपराध के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं या मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं तो मॉनीटर इस सूचना को सीधे ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी भेज सकता है।

(9) 'मॉनीटर' एक या अनेक हो सकते है।

अनुच्छेद 9 - समझौता अवधि

यह समझौता उसी दिन से प्रभावी होगा जिस दिन दोनों पार्टियां इस पर विधिवत् हस्ताक्षर कर देंगी। संविदाकार के लिए संविदा के अंतर्गत अंतिम भुगतान के 12 माह पश्चात यह समाप्त होगा और अन्य बोलीदाताओं के लिए संविदा देने के 6 माह के बाद यह समाप्त होगा।

यदि इस अवधि में कोई दावा किया/प्रस्तुत किया जाता है तो वह बाध्यकारी होगा तथा जैसाकि ऊपरलिखित है, समझौते की समाप्ति पश्चात भी इसकी वैद्यता बनी रहेगी जब तक कि इस पर प्रबंध निदेशक, कॉनकॉर द्वारा फैसला/निर्धारण न कर लिया जाए।

अनुच्छेद 10 - अन्य प्रावधान

1. यह करार भारतीय विधि के अध्याधीन है। कार्य निष्पादन का स्थान और न्यायिक क्षेत्र मुख्य पक्षकार का पंजीकृत कार्यालय अर्थात नई दिल्ली है।
2. इसमें परिवर्तन और परिशिष्ट के साथ-साथ समाप्ति सूचना लिखित में दी जानी चाहिए। समानान्तर करार नहीं किए गए हैं।
3. यदि संविदाकार साझेदारी या सहायता संघ में है तो इस करार पर सभी साझेदारों या सहायता संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

4. यदि इस करार का एक अथवा कई उपबंध अमान्य हो जाएं तो इस करार के शेष उपबंध वैध बने रहेंगे। इस मामले में पार्टियां करार के अपने मूल भावों से प्रतिबद्ध रहते हुए एक करार करेंगी।

....
(मुख्य पक्षकार के लिए)
और उसकी ओर से

कार्यालय मोहर

....
बोलीदाता/संविदाकार के लिए
और उसकी ओर से

कार्यालय मोहर

स्थान ....
तिथि......................

गवाह नम्बर 1 :
नाम एवं पता............................
....
....
....

गवाह नम्बर 2 :
नाम एवं पता............................
....
....
....